भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

F 099359

उपकोषाधिकारी
राजस्थान
17 OCT 2016
मावली (उदयपुर)

उप पंजीयक सनवाड़

" श्री "

# GIFT-DEED

***राजकीय मुद्रांक किमती* 1000/-*रूपया किता*–1**

यह **GIFT DEED** आज दिनाँक **08-11-2016** को *उप तहसील सनवाड़* में हम निम्न पक्षकारान् के मध्य निम्न शर्तो एवं शरायतों अनुसार निष्पादित की जाती है–

***गिफ्टडीड कर्ता:–*** श्री *संजय* पिता श्री *अम्बालाल जी महाजन*, उम्र–48 वर्ष, जाति–महाजन, निवासी–*फतहनगर*, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज0) जिन्हें आगे चलकर उक्त **GIFT DEED** में प्रथम पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें कि उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधी, स्थानापन्न एवं वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे) की ओर से –

—————— ***प्रथम पक्षकार***

ब ह क

***गिफ्टडीड गृहिता:–*** ***आदर्श इण्डियन पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, देवली,*** जिला–टोंक (राजस्थान) जरिये सचिव श्री ***मोहित अग्रवाल*** पिता श्री सीताराम जी मंगल, उम्र–वयस्क, जाति–महाजन, निवासी–सी0आई0एस0एफ0, लिंक रोड़, देवली, तहसील–देवली, जिला–टोंक (राजस्थान) जिन्हें आगे चलकर उक्त **GIFT DEED** में द्वितीय पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें कि उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधी, स्थानापन्न एवं वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे) के पक्ष में

—————— ***द्वितीय पक्षकार***

**1–** यह कि प्रथम पक्षकार के निजी–स्वामित्व एवं आधिपत्य की ***खातेदारी*** हक की कृषि भूमि *राजस्व ग्राम–फतहनगर, पटवार क्षैत्र–फतहनगर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र–फतहनगर, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज0)* में स्थित है जो कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवंत **2072-2075** की खतौनी में प्रथम पक्षकार के नाम से इन्द्राज है । जिस पर प्रथम पक्षकार एक मात्र मालिक होकर काबिज है एवं उक्त कृषि भूमि को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस/गिफ्ट किये जाने का अर्थात हर प्रकार से हस्तान्तरण करने का प्रथम पक्षकार को पूर्ण अधिकार प्राप्त है जिसका विवरण इस प्रकार है :–

Agarwal    Sanjay Agarwal

उप पंजीयक सनवाड़

6– यह कि उक्त **GIFT** की जा रही कृषि भूमि *सिचिंत* होकर *राजस्व ग्राम–फतहनगर, पटवार क्षैत्र–फतहनगर* भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र–फतहनगर, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज0) में ***आबादी एवं सड़क से ½ km*** दूर स्थित है जिस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण वगैरा किया हुआ नहीं है तथा आस–पास किसी प्रकार का कोई औद्योगिक/वाणिज्यिक क्षैत्र नहीं है ।

7– यह कि उक्त **GIFT DEED** के निष्पादन में प्रथम पक्षकार एवं प्रथम पक्षकार के परिवारजनों की पूर्ण सहमति है तथा पूर्ण अभिस्वीकृति में यह तहरीर आज तकमील की जा रही है जो प्रथम पक्षकार द्वारा किये गऐ **GIFT** की याददानी होगी जिसे स्टाम्प नं0–**6352** किता–**1** स्टाम्प किमती **1000/-**रूपये पर टंकित कराया गया, जिसे पढ़कर सुनाया गया तथा उस पर स्वीकारोक्ति स्वरूप प्रथम पक्षकार ने अपने हस्ताक्षर/अंगुष्ठक निशानी कर दिये है।

लिहाजा यह **GIFT DEED** प्रथम पक्षकार ने द्वितीय पक्षकार के पक्ष में अपने पूर्ण होश–हवाश में, बिना किसी डर–दबाव के, स्वस्थ चित्त मन से, परिवार जनों की पूर्ण सहमति से, दो साक्षीगणों की मौजुदगी में टंकित करा कर, पढ़–सुनकर, सोच–समझ कर अपने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशानी कर निष्पादित कर दिया है सो सही सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवें ।

स्थानः– उप–तहसील सनवाड़
दिनॉकः– **08-11-2016**

***हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार***
( गिफ्टडीडकर्ता )

***हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार***
( गिफ्टडीडगृहिता )

***साक्षीगणों के नाम पता मय हस्ताक्षर :–***

साक्षीः–**(1)** श्री *नटवर लाल मोर* पिता श्री *रामचन्द्र जी मोर,*
उम्र–46 वर्ष, जाति–अग्रवाल, पेशा–व्यापार,
निवासी–*फतहनगर,* तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज0)

***साक्षी के हस्ताक्षर :–*** ..............................................

साक्षीः–**(2)** श्री *उमेशचन्द्र मंगल* पिता श्री *बाबुलाल जी,*
उम्र–44 वर्ष, जाति–अग्रवाल, पेशा–व्यापार,
निवासी–*फतहनगर,* तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज0)

***साक्षी के हस्ताक्षर :–*** ..............................................

स्थानः– उप–तहसील सनवाड़
दिनॉकः– **08-11-2016**

***हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार***
( गिफ्टडीडकर्ता )

***हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार***
( गिफ्टडीडगृहिता )

परिशिष्ठ–(अ)

| खाता संख्या | | खसरा संख्या | क्षेत्रफल / रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| नई | पुरानी | | | | |
| 159 | 178<br>212 | 380<br>381<br>385<br>386 | 0-07<br>0-11<br>1-16<br>2-05 | जमाबंदी अनुसार | जमाबंदी अनुसार |
| | | किता–4 | कुल रकबा<br>4 बीघा 19 बिस्वा भूमि सम्पूर्ण सम्पूर्ण GIFT की जा रही है | | |

2– यह कि प्रथम पक्षकार आदर्श इण्डियन पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, देवली, जिला–टोंक के सदस्य होकर उक्त समिति के सचिव श्री मोहित अग्रवाल के रिश्तें में बहनोई होकर कलम संख्या–1 के परिशिष्ठ–(अ) में वर्णित आराजीयात भूमि आराजी नं0–380, 381, 385, 386 कुल किता–4 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि यानि 8015.68 वर्गमीटर भूमि को प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार को आज दिनांक 08-11-2016 को आपसी स्वभाविक प्रेमस्नेह से अभिभूत होकर पूर्ण स्वेच्छा से बिना प्रतिफल राशि प्राप्त किये GIFT किया है ।

3– यह कि उक्त GIFT DEED की कलम संख्या–1 के परिशिष्ठ–(अ) में वर्णित आराजीयात भूमि आराजी नं0–380, 381, 385, 386 कुल किता–4 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर प्रथम पक्षकार एक मात्र स्वामी है जिस पर किसी अन्य दिगर व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई हक, हिस्सा अधिकार नहीं है तथा उक्त सपंत्ति हर प्रकार के ऋण एवं प्रभारों से मुक्त होकर पाक एवं साफ है इस आशय से कलम संख्या–1 के परिशिष्ठ–(अ) में वर्णित कृषि भूमि प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को अपनी पूर्ण स्वेच्छा एवं स्थिर चित की हालत में बिना प्रतिफल राशि प्राप्त कर GIFT कर मौके पर उक्त कृषि भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा आज दिनांक 08-11-2016 को ही प्रथम पक्षकार ने द्वितीय पक्षकार को हस्तान्तरित कर दिया है जिसे द्वितीय पक्षकार ने स्वीकार कर उक्त GIFT DEED पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए अपने हस्ताक्षर कर दिए है । अब उक्त कृषि भूमि में प्रथम पक्षकार का कोई हक हित शेष नहीं रहा है ।

4– यह कि द्वितीय पक्षकार आज दिनांक से GIFT की गई कृषि भूमि का अपनी ईच्छा एवं सुविधानुसार उपयोग–उपभोग हेतु पूर्ण स्वतंत्र रहेगे अर्थात GIFT की गई कृषि भूमि से सबंधित जो भी सुखाधिकार प्रथम पक्षकार में निहित थे वे आज दिनांक से द्वितीय पक्षकार में निहित हो जावेगे सौ आप द्वितीय पक्षकार अपनी ईच्छा एवं सुविधानुसार GIFT की गई कृषि भूमि का राजस्व रेकार्ड में अपने नाम रद्दोबदल करावें एवं उक्त कृषि भूमि का अपनी स्वतंत्र ईच्छा एवं सुविधानुसार उपयोग–उपभोग करें, खेती करे, सिजारे देवें, कृषि से अकृषि भू–रूपान्तरण करावें, समिति के उद्देश्यों को क्रियान्वित करे, किसी अन्य दिगर व्यक्ति को विक्रय,रहन,बैह,बक्षीस आदि करें जिस पर प्रथम पक्षकार के द्वारा अथवा प्रथम पक्षकार के वारिसान व परिवारजनों के द्वारा भविष्य में किसी प्रकार का कोई उजर–एतराज प्रकट नहीं किया जावेगा ।

5– यह कि उक्त GIFT DEED पूर्ण रूप से अन्तिम तथा अप्रतिसंहरणीय है तथा प्रथम पक्षकार कभी भी प्रतिसंहरण,चैलेज नहीं कर सकेगे । प्रथम पक्षकार कभी भी द्वितीय पक्षकार से उक्त GIFT की गई कृषि भूमि को प्राप्त करने की अधिकारी नहीं रहेगे।